

क्रमांक : रा.आ.मं./मु.अभि.मु./2023-24/...C1

दिनांक : ७/९/२०२३

**कार्यालय आदेश**

राजस्थान आवासन मंडल में वास्तुविद संस्था हेतु विभिन्न श्रेणियों में सूचीबद्धीकरण (Empanelment) के मापदण्ड निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं:

क्र. स.	विषय	श्रेणी			
		A	B	C	D
1	कार्य योजना की लागत	रुपये 10 करोड़ या कम	रुपये 10 करोड़ से अधिक व 20 करोड़ तक	रुपये 20 करोड़ से अधिक व 40 करोड़ तक	रुपये 40 करोड़ से अधिक
2	पिछले पाँच वर्षों में पूर्ण किये गए कार्यों की लागत राशि (करोड़ रुपये में)	रुपये 50 करोड़ तक	रुपये 100 करोड़ तक	रुपये 150 करोड़ तक	रुपये 150 करोड़ से अधिक
3	बहुमंजिला भवनों (भूतल+पाँच मंजिल) के निर्माण कार्यों की वास्तुविद सेवाओं की संख्या	कम से कम दो कार्य	कम से कम दो कार्य	कम से कम दो कार्य	कम से कम दो कार्य
4	फर्म द्वारा भवन निर्माण से संबंधित वास्तुविद सेवाओं का कार्यानुभव	कम से कम 5 वर्ष	कम से कम 5 वर्ष	कम से कम 5 वर्ष	कम से कम 5 वर्ष
5	फर्म में नियुक्त 10 वर्ष या अधिक कार्यानुभव के वास्तुविदों की संख्या	1	1	1	1
6	फर्म में नियुक्त वास्तुविद की संख्या	2	2	4	4
7	फर्म में नियुक्त सिविल इंजीनियर की संख्या	1	1	2	2
8	फर्म में नियुक्त सीनियर ड्राफ्टमैन की संख्या	5	5	10	10

वास्तुविद संस्था का कार्यालय अन्य शहर में होने की स्थिति में, जिस शहर में भवन निर्माण प्रस्तावित है, वहाँ एक स्थानीय कार्यालय स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिसमें एक वास्तुविद व एक सिविल इंजीनियर की नियुक्ति आवश्यक होगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

**आवासन आयुक्त**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निजी सचिव, अध्यक्ष / आवासन आयुक्त
2. मुख्य अभियंता (मु0) / प्रथम / द्वितीय



मण्डल का यह सपना, सुन्दर घर हो सबका अपना



Telephone: 91-141-2740359; e-mail ID: celhq.rhb@rajasthan.gov.in; Website: urban.rajasthan.gov.in/rhb

GSTIN: 08AAALR0046F1ZA; PAN: AAALR0046F; TAN:

(Rear Block, Floor 02, "Awas Bhawan", Jan Path, Jyoti Nagar, Jaipur - 302005; EPABX: 91-141-2740812, 2740113, 2740614)1